

9 11/7

पत्रावली पेश हुई। पुरुहाप फीडेन उपर  
 प्रकरण में आदेशिका दिनांक 20/09/2016 का जिक्र  
 करते हुए प्रतिवादी सं०। के पक्षों के निवेदन  
 किया कि पक्षी वारीगा को बार-2 में  
 दिए जाने के बावजूद आदेशिका एड प्रतिवादी सं०. 2,  
 3, 6, 11 व 12 की तलवार पेश करने नहीं  
 किया गया। उक्त आदेशिका में पक्षी वारी के  
 अतिरिक्त अपसर किया गया है। इसलिए डाका आदेश  
 3 नियम 5 सीपीसी के अंतर्गत किया जावे।

उम्मेद पत्रावली का अक्षेपण किया।  
 प्रकरण में आदेशिका दिनांक 20/09/2016 में पक्षी  
 वारी के आदेश दिए गये थे कि आगामी तारीख  
 पर आवश्यक रूप से नवीन तलवार पेश करें, एड  
 एड अतिरिक्त आदेश दिए गये थे। अतः बावजूद  
 आज दिनांक एड Reg. Ad. हेतु खतरा पेश नहीं

02

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

विशेष गैर-हॉटल, हॉटल अन्तर्गत माडिअर १  
नियम ५ कीधीकी के अन्तर्गत अउर तफ्तील में  
खादिन की जारी है पत्रावली केवल शुगा केडर  
बाद दरतीब तफ्तील अफर शखिल है ६६

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
बीकानेर